न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या:–53/2024

जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, अलवर।

–आवेदक

बनाम

1. श्री विनोद सिंह यादव पुत्र श्री रामस्वरूप यादव, उम्र 52 वर्ष, (खाद्य कारोवारकर्ता एवं विकेता) मैसर्स श्री राधा कृष्णा डेयरी, माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर, निवासी माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर।

2. श्री राधाकृष्णा यादव पुत्र श्री विनोद सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, (मालिक) मैसर्स श्री राधा कृष्णा डेयरी, माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर, निवासी रोडवाल, अलवर हाल निवासी माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर।

– अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक:–29/1/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.01.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2 (क) के क्रमांक 37 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1) चिस्वा/2/2022 दिनांक 04.11.2022 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11.04.2012 के गजट भाग 2(क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह है कि दिनांक 10.01.2023 को वाद दोपहर 01:30 बजे मुस्तगीस वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स– श्री राधा कृष्णा डेयरी, माजरी रोड, गणेश गढ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर स्थित दुकान पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विकेता श्री विनोद सिंह यादव पुत्र श्री रामस्वरूप यादव स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को विक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री अरविन्द प्रकाश एवं श्री रोहित कुमार की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री विनोद सिंह यादव पुत्र श्री रामस्वरूप यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी– माजरी रोड, गणेश गढ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर का होना बताया एवं उक्त फर्म का मालिक श्री राधाकृष्णा यादव को होना बताया एवं मौके पर स्वयं के एवं मालिक के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन नं0 22222054002752 दिनांक 11.10.2022 से दिनांक 10.10.2027 तक का जारी होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि उक्त डेयरी का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान डेयरी पर एक स्टील की चौडे मुंह की टंकी में करीब 6 किलो दही (मिश्रित दूध से निर्मित) आमजन को विक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री अरविन्द प्रकाश एवं श्री रोहित कुमार की उपस्थिति में विक्रेता श्री विनोद सिंह को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त दही (मिश्रित दूध से निर्मित) में से वर्टिकल काटकर 800 ग्रा० दही (मिश्रित दूध से निर्मित) को वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील के जग में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 80/–(अक्षरे अस्सी रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 800 ग्रा० दही (मिश्रित दूध से निर्मित) को विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा दही (मिश्रित दूध से निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 16–16 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेवल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. बी–10531 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढ़ाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, अलवर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त दही (मिश्रित दूध से निर्मित) के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 165 दिनांक 01.02.2023 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 357/18.04.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) दही (मिश्रित दूध से निर्मित) की विक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

11. प्रकरण इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में होने के कारण पत्रावली अपर जिला मजिस्ट्रेट अलवर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तामिल हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये बाद तामिल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया। अप्रार्थी को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किया ना ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। इसलिए अप्रार्थी का जवाब बंद कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।
12. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से निर्मित) की विक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।
13. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ दही (मिश्रित दूध से निर्मित) की विक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो तथा अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री विनोद सिंह यादव पुत्र श्री रामस्वरूप यादव, उम्र 52 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता) मैसर्स श्री राधा कृष्णा डेयरी, माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर, निवासी माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर एवं श्री राधाकृष्णा यादव पुत्र श्री विनोद सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष, (मालिक) मैसर्स श्री राधा कृष्णा डेयरी, माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर, निवासी रोडवाल, अलवर हाल निवासी माजरी रोड, गणेश गढ़ मन्दिर के पास, दौलतसिंहपुरा, नीमराणा, जिला अलवर पर 25000/- पच्चीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.1.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)